राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

भवानी सिंह बनाम हेमराज

तारीख हुक्म	586/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 04/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
04/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251(क) की उप धारा (1) के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 367,369, 370, 372 से 375, 377, 378, 378/933, 442/994, कुल किता 11 रकबा 5.16 है. वाके ग्राम जगतपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण रिहायशी कमानात भी है उक्त भूमि आने जाने का रास्ता प्रार्थीगण अप्रार्थीगण हेमराजसिंह वगैरह क खातेदारी भूमि ख0नं0 379 रकबा 1.40 है० वाके ग्राम जगतपुरा तहसील शाहपुरा में उसकी दक्षिण सीमा से लगती 100 मीटर पूर्व पश्चिम साढे 3 तीन मीटर उत्तर दक्षिण चौडाई कुल 350 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु आवेदन के साथ पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251(क) की उप धारा (1) का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तत्पश्चात तहसीलदार शाहपुरा द्वारा तैयार रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18/09/2019 पारित करते हुये प्रार्थीगण/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251(क) की उप धारा (1) स्वीकार करते हुये रास्ता कायमी के आदेश पारित किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस पेश कर लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस सुनी गयी। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भवानी सिंह बनाम हेमराज हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का परिक्षण/विवेचन करते हुये तहसीलदार की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुये अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से रास्ता कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है	विधिक प्रावधानों के अनुसरण में भी कृषि आराजी तक कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित किये जाने हेतु रास्ता कायम किया जाना आवश्यक होता है	ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18/09/2019 उचित प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 13/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	